206

पत्रसं०– XXVIII–5–2014–71/2011

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 07 मार्च 2014

विषयः राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय हलेथ, विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–7प/1/एस0ए0डी0/21/2008/34522, दिनांक 13 दिसम्बर 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2013–14 में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय हलेथ के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यो हेतु प्रस्तुत रु0 199.76 लाख के विरुद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि 182.77 लाख(सिविल कार्यों हेतु रु0 178.44 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार किये जाने वाले कार्यों हेतु रु0 4.33 लाख) पर प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 में रु0 50.00 लाख (पचास लाख मात्र) की धनराशि संलग्न साफ्टवेयर आवंटन आई0डी0सं–S1403120119 दि0 06.03.2014 माध्यम से अवमुक्त करते हुए निम्न शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. आगणन में अंकित अधिप्राप्ति संबंधी रु0 4.33 लाख के कार्यों को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि आहरित कर परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम, चम्बा (टिहरी गढ़वाल) को उपलब्ध करायी जायेगी ।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ा व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलबध करा दिया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–321–XXVII(1)/2012, दिनांक 19.06.2012 में इंगित निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जयेगा।
6. कार्य पर उतना ही व्यंय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

.........2

7. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतांए तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण काय्र को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30.03.2013 में इंगित निर्देशों एवं उपरोक्त उल्लिखत शासनादेश में इंगित प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
9. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाये जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयागशाला से अवश्य करा लिया तााि उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
10. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
11. कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 द्वारा निर्धारित प्रारुप पर एम0ओ0यू0 करना सुनिश्चित किया जायेगा ।
12. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या– 12 लेखाशीर्षक 4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 07– एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण, 00– आयेजनागत, 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा सं0–291(P)/XXVII(3)/2013–14, दिनांक 04 मार्च 2014 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–2247(1)/XXVIII–5–2014–71/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी गढ़वाल।
5– परियोजना प्रबंधक निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा (टि0ग0)।
6–बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7– वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8–मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव